प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 04.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद महोबा की पुलिस लाइन एवं विभिन्न थानों में पुलिस टीम द्वारा शस्त्रों की सफाई एवं स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया...।

आज दिनांकः 04.05.2025 (रविवार) को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में रिजर्व पुलिस लाइन महोबा में पुलिसकर्मियों द्वारा शस्त्रों की सफाई की गई तथा शस्त्रों की सही हैंडलिंग का अभ्यास कराया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिस बल की तत्परता, दक्षता एवं सुरक्षा मानकों को और अधिक सुदृढ़ बनाना रहा।

उक्त अभियान के अंतर्गत जनपद के सभी थानों में नियुक्त पुलिस कर्मचारियों द्वारा व्यापक सफाई अभियान भी चलाया गया। इस दौरान शस्त्रों के साथ-साथ आवासीय परिसरों, थाना प्रांगण एवं कार्यालयों की सफाई कर स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया।

अभियान के समापन पर सभी पुलिसकर्मियों ने अपने कार्यस्थल को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाए रखने का संकल्प लिया। यह अभियान न केवल पुलिस बल की अनुशासनबद्धता और सजगता का प्रमाण है, बल्कि 'स्वच्छ भारत अभियान' के प्रति विभाग की सक्रिय सहभागिता का भी प्रतीक है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 04.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

जनपद महोबा के साइबर क्राइम पुलिस थाना द्वारा साइबर ठगी के ₹ 94 हजार पीडितों के खाते में वापस कराये गये हैं, धनराशि अपने बैंक खाते में वापस पाकर पीड़ितों ने महोबा पुलिस का धन्यवाद ज्ञापित किया है...।

आये दिन साइबर अपराधियों द्वारा आम जनता को भ्रमित कर उनसे उनके बैंक खाते एवं क्रेडिट कार्ड आदि से जुडी गोपनीय जानकारी अर्जित कर यूपीआई व अन्य के माध्यम से साइबर फ्रॉड कर धोखाधडी की घटनाएं प्रकाश में आती हैं, ऐसी घटनाओं की रोकथाम तथा आमजनमानस को नियमित साइबर अपराध के प्रति जागरुक कर उनकों सचेत किये जाने हेतु प्रदेश के प्रत्येक जनपद में साइबर थाने का गठन किया गया है।

जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन पर अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक कुमार दुबे के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी साइबर क्राइम पुलिस थाना निरीक्षक मो0 फहीम अख्तर के नेतृत्व में साइबर अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय साइबर क्राइम पुलिस टीम महोबा द्वारा निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में साइबर ठगी के शिकार 02 पीडित आवेदक क्रमशः 1.शैलेन्द्र सिंह पुत्र गुमान सिंह निवासी मु0 गाँधी नगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा ने 74 हजार रु. की धोखाधडी एवं आवेदक 2.भीम कुमार पुत्र झुरी निवासी मु0 भटीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा ने 20 हजार रु. की धोखाधडी के संदर्भ मे ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके क्रम मे साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा प्रार्थना पत्र की जाँच की गयी, जाँच के दौरान आवेदक/पीडितों के साथ हुयी साइबर ठगी में खाते से निकाली गयी धनराशि को वापस कराने हेतु त्वरित कार्यवाही करते हुये पेमेण्ट गेटवे/सम्बन्धित बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर पीडितों की सम्पूर्ण धनराशि 74 हजार रु. तथा 20 हजार रु. (कुल धनराशि 94 हजार रु.) इनके खाते में वापस करायी गयी है। थाना साइबर क्राइम जनपद महोबा पुलिस टीम के द्वारा की गयी इस त्वरित कार्यवाही से पीडित अपने रुपये वापस पाकर अत्यन्त प्रसन्न है, पीडित ने पुलिस अधीक्षक महोबा व साइबर क्राइम थाना जनपद महोबा की पुलिस टीम के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर आभार व्यक्त किया है।

धनराशि वापस कराने वाली थाना साइबर क्राइम महोबा पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक मो० फहीम अख्तर, साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद महोबा
2. उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह, 3. म0कां0 रोली सिंह 4. कां0 सुरजीत कुमार
5. कां0 अमनदीप सिंह 6. कां० संदीप यादव 7. कां0 मनीष सिंह

☞ नोट- साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर सूचना अंकित कराये, सूचना विलम्ब से देने पर साइबर अपराधियों द्वारा धन निकाल लिया जाता है। धन निकलने के उपरान्त पैसे वापस होने की सम्भावना बहुत कम होती है। लोगो को साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ०टी०पी०, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं थाना पर गठित साइबर सेल को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएँ।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 04.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने आपराधिक प्रवृत्ति के अभियुक्त को अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है, अभियुक्त के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट, चोरी, लूट, अवैध शस्त्र सहित विभिन्न आपराधिक अभियोग पंजीकृत हैं।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक व जनपदवासियों में सुरक्षित परिवेश की भावना जागृत किये जाने के उद्देश्य से जनपद में अपराध एवं अवैध तमंचे की रोकथाम अभियान के तहत आज दिनांक 04.05.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना श्रीनगर प्रभारी निरीक्षक श्री अवधेश कुमार मिश्र द्वारा गठित की गयी पुलिस टीम उ0नि0 हरिभजन गौतम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आपराधिक प्रवृत्ति के 01 नफर शातिर अभियुक्त छोटू राजा उर्फ चंचल राजा पुत्र हिम्मत सिंह उम्र 25 वर्ष ग्राम मवई थाना श्रीनगर जनपद महोबा को थानाक्षेत्र के भण्डरा से नियमानुसार गिरफ्तार किया है, दौराने गिरफ्तारी अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर अवैध बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना श्रीनगर में मु0अ0सं0 97/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी के उपरान्त जेल भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

छोटू राजा उर्फ चंचल राजा पुत्र हिम्मत सिंह उम्र 25 वर्ष ग्राम मवई थाना श्रीनगर महोबा

बरामदगी- 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 हरिभजन गौतम 2. का0 शीलू यादव 3. का0 विकास सरोज

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 124/2020 धारा 380/411/457 भादवि
2. मु0अ0स0 183/2023 धारा 392/411/504/506 भादवि
3. मु0अ0स0 186/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
4. मु0अ0स0 008/24 धारा 3 (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवा0 अधि0
5. मु0अ0स0 009/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
6. मु0अ0स0 0121/24 धारा 323/504/506 भादवि
7. मु0अ0स0 0224/24 धारा 115(2)/333/351(2)/352 बीएनएस
8. मु0अ0सं0 97/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 04.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना अजनर की पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र व जिन्दा कारतूस के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा जनपद में अवैध शस्त्र के निर्माण व परिवहन पर प्रभावी रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक- 04.05.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अजनर उ0नि0 सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा गठित की गयी उ0नि0 राजेश कुमार व उ0नि0 प्रशान्त दीक्षित मय हमराह कां0 भरत सिंह व कां0 आशीष यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.जितेन्द्र राजपूत पुत्र महेश राजपूत उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम रजपुरा थाना अजनर जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज व 2.रोहित पुत्र हरीराम अहिरवार उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम रजपुरा थाना अजनर जनपद महोबा जिसके कब्जे से 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए ग्राम रजपुरा थाना अजनर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 98/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 राजेश कुमार 2.उ0नि0 प्रशान्त दीक्षित
3.का0 आशीष यादव 4.का0 भरत सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.जितेन्द्र राजपूत पुत्र महेश राजपूत उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम रजपुरा थाना अजनर जनपद महोबा

2.रोहित पुत्र श्री हरीराम अहिरवार उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम रजपुरा थाना अजनर जनपद महोबा

@MahobaPolice